

28/6/19

पत्रावली पेश हुई। संबंधित विवरण सार्वजनिक एवं इस प्रकार से है कि गांधी ने एक सार्वजनिक भूखंड यथा 128 एकड़ आर एच के तहत इस धाराय का प्रस्ताव किया कि भौजा रावरपुरा पंचायत मण्डल रावरपुरा की अराजगी नखट 3 रकबा 0.4000 हेक्टेयर सार्वजनिक की स्वयं की खासदारी की वेंकट राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मिसाल कोई स्वामी वीना भिन्न नहीं है। तथा छिपड़ी गण अराजगी के पडोसी है। सार्वजनिक एवं छिपड़ी के मध्य धाराजी सीमा को वेंकट भावे दिन विवाह होना रखा है। इसलिए अज्ञेय अराजगी की पत्थराखी कराई जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व धारिणीय का भवलोका किया गया बरस सुनिश्चिती सार्वजनिक बरस धाराजी का खासदारी वेंकट इन्टे नफसी कराने का अधिकाधिक है। अतः तदुसी वया इंगला को 2000 जीस पट कमीसट विद्युत किया जाकर अधिसर किया जाता है कि पसकायन की उपस्थिति मैवतरेवली नम्बो के अनुसार बिना किसी के कब्जे कास में स्थल दिये भौजा रावरपुरा पंचायत मण्डल रावरपुरा की अराजगी 3 रकबा 0.4000 हेक्टेयर की पत्थराखी की जाये। पत्थराखी पालना प्रपिक्के किमीक 18।0।9 तक न्यायालय वजा में प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली के संलग्न सुभा वेंकट नखट से कर

ये

जुड अधिकारी
इंगला